भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2478
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरा समुदायों को आवास सुविधाएं

2478. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मछुआरा समुदायों को आवास सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा मत्स्यपालन क्षेत्र हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) मछुआरों के कल्याण हेतु क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने का विचार किया गया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास के लिए कई पहल की हैं। मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) नीली क्रांति पर केन्द्र प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया और इस योजना से मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ।

(ii) मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष 2018-19 में 7522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) शुरू किया गया था। एफआईडीएफ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को चिन्हित मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। एफआईडीएफ 2 साल की मॉरेटोरियम सहित 12 साल की पुनर्भुगतान अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान करता है। एफआईडीएफ के अंतर्गत अब तक 5794.09 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी उद्यमियों के कुल 132 मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(iii) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ लागू किया गया है। यह योजना मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा मैनेजमेंट, फिशरीज़ वैल्यू चैन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एक मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण अंतराल (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने के लिए तैयार की गई है। विगत चार वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए 8871.42 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 20864.29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(iv) मात्स्यिकी क्षेत्र को सुदृढ़ (रेसिलिएंट) बनाने और फिशरीज़ वैल्यू चैन में दक्षताओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 6000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएमएमकेएसएसवाई)" को लागू कर रही है। पीएमएमकेएसएसवाई का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित बनाना, जलीय कृषि बीमा को प्रोत्साहित करना, मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल्य श्रृंखला दक्षता, सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणाली को अपनाना आदि है।

(v) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुंचाई है, ताकि उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। देश भर में मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए अब तक 2810 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ कुल 4.39 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु के 2,44,506 मछुआरे और मत्स्य किसान शामिल हैं।

नीली क्रांति पर केन्द्र प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के अंतर्गत मछुआरों के लिए कुल 18,886 घर स्वीकृत किए गए और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 104.69 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई। हालांकि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरा समुदायों को आवास सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जिनमें शामिल हैं; (i) समुद्र तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों का विकास, जिसका उद्देश्य स्थायी मत्स्यन की प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए तटीय मछुआरों को आर्थिक और सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है, (ii) बीमा कवर जिसके अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5.00 लाख रुपए, आकस्मिक स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2.50 लाख रुपए और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25,000 रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है , (iii) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, समुद्र में मछली पकड़ते समय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लाख फिशिंग वेसेल्स पर निःशुल्क स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसपोंडर प्रदान करने के लिए 364 करोड़ रुपए के परिव्यय पर एक विशेष योजना बनाई गई है। कई लाभों वाले ट्रांसपोंडर मछुआरों को टू-वे कम्युनिकेशन करने, किसी भी आपात स्थिति और चक्रवात के दौरान अलर्ट भेजने और पोटेन्शियल फिशिंग ज़ोन्स के बारे में जानकारी प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करते हैं । इसके अलावा, मछुआरों को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), लाइफ़जैकेट, लाइफ़बॉय, अन्य जीवन रक्षक उपकरण, खोज और बचाव बीकन, रडार रिफ्लेक्टर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फ्लेयर्स का एक सेट, बैकअप बैटरी आदि से युक्त सुरक्षा किट भी प्रदान की जाती है ताकि समुद्र में मछली पकडते समय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

****